

- किस्म दस्तावेज - बैनामा
- भूमि का प्रकार - आवासीय
- मौहल्ला - नारायन एवेन्यू मौजा पथौली तहसील व जिला आगरा
- सम्पत्ति का विवरण - एक किता मकान नम्बर ----- जो प्लॉट संख्या ---
मिन जुमला खसरा संख्या 30 पर बना है
- मापन की इकाई - वर्गमीटर
- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - वर्गमीटर
- सड़क की स्थिति - ... मीटर चौड़ी सड़क
- अन्य विवरण - दो रोड नहीं
पार्क फेस नहीं
- सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय मकान कि जो एक मंजिल बना है।
- कुल आच्छादित क्षेत्रफल - वर्गमीटर मुमटी सहित
- विक्रीत कीमत - -----/- रुपया
- सरकारी मालियती - -----/- रुपया
- सर्किल रेट वास्ते जमीन -/- रुपया प्रति वर्गमीटर जो दर सूची नम्बर पर दर्ज है।
- निर्माण की दर - 14,500/- रुपया प्रति वर्गमीटर आर0सी0सी0 का निर्माण होने के कारण
- स्टाम्प - -----/- रुपया

→ प्रथमपक्ष की संख्या - (एक) बिक्रेता का विवरण -

- 1- मैसर्स आर जे इन्फ्राहोम्स प्रा0लि0 द्वारा निदेशक मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधे लाल अग्रवाल कार्यालय जी 15 रमन टॉवर संजय प्लेस आगरा (आयकर स्थाई लेखा संख्या -)(मो 8475002045)

→ द्वितीयपक्ष की संख्या - (एक), क्रेता का विवरण -

1-

जो कि एक किता मकान नम्बर जो प्लॉट संख्या मिन जुमला खसरा संख्या 30 पर बना है मय जमीन जेरीन वतादाद वर्गमीटर वाके नारायन एवेन्यू मौजा पथौली तहसील व जिला आगरा, जो एक मंजिल बना है जिसका कवर्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर है व शेष भाग खुला हुआ है कि जो संलग्न नक्शे में मय पैमाइश के रंग लाल से साफ तौर पर जाहिर किया गया है मय जुमला हक हकूक मुतालिका मकान हाजा कि जिसकी सीमायें निम्न है-

दिशा	सीमा
पूरव	
पश्चिम	
उत्तर	
दक्षिण	

विदित हो कि उपरोक्त मकान की जमीन जेरीन को प्रथमपक्ष ने अन्य जमीन सहित वजरिये बैनामा नविस्ता रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पथौली तहसील व जिला आगरा आगरा मौसूमा प्रथमपक्ष मुवरिखा 19-09-2012 जिसकी रजिस्टरी कार्यालय उप निबन्धक -2 आगरा के यहां वही संख्या 1 जिल्द 9131 सफा 313/444 दस्तावेज नम्बर 13346 पर दिनांक 26-09-2012 को विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई है है, के खरीद किया और कब्जा व दखल प्राप्त किया और मालिक व काबिज बने और बाद खरीद के प्रथमपक्ष ने स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उक्त मकान का निर्माण कराया ।

विदित हो कि इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त भवन के एक मात्र मालिक काविज चले आते हैं कि जिसमें सिवाय प्रथमपक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी प्रकार का नहीं है। उक्त मकान प्रथमपक्ष की तरफ से आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, बिक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल मोरगोज व हर प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है। जिसकी जमीन नजूल या राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है।

विदित हो कि प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित मकान का बिक्रय करना मिलने कीमत माकूल वक्त मौजूदा एंव व फायदा खुद के मन्जूर है, द्वितीयपक्ष उक्त मकान को अपने लिये उपयोगी पाते हुये माकूल कीमत पर क्रय करने को तैयार है जिसमें प्रथमपक्ष का पूरा पूरा लाभ है अतः प्रथमपक्ष को उक्त मकान का बिक्रय करना द्वितीयपक्ष के हक में मन्जूर है।

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दवाव किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित मकान को साथ तमाम हद्द व हकूक मालिकाना के व बिना छोड़े किसी हक व शै व जुज शै के बिल एवज मुवलिंग रुपया कि आधे जिसके रुपया होते हैं वदस्त- ... उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कतई किया और बेच दिया।

विदित हो कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने कीमत का कुल मुवलिंग रुपया क्रेता द्वितीयपक्ष से निम्न विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया है -

नैफ्ट/चैक आदि	दिनांक	तादादी	बैंक
कुल योग			

विदित हो कि इस तरह अब प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष से कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत मकान पर विक्रेता प्रथमपक्ष ने मानिन्द अपने क्रेता द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत मकान का तन्हा मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से विक्रीत मकान में प्रथमपक्ष विक्रेता व उनके वारिसान का कुछ हक व हिस्सा किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को हक व अधिकार है कि वह विक्रीत मकान से वहैसियत मालिक के चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, उसमें हस्व मन्शा अपने चाहे जिस प्रकार नव-निर्माण, संशोधन, परिवर्तन आदि करावे और चाहे जैसे अपने इस्तेमाल में लावे और विक्रीत मकान को द्वितीयपक्ष वक्त जरूरत रहन, वैय व हिंवै आदि जो चाहे सो करे और जरिये बैनामा हाजा अपने नाम का इन्द्राज कागजात सरकारी में वहैसियत मालिक के दर्ज करा ले, प्रथमपक्ष उक्त विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं। उपरोक्त मकान को क्रेता द्वितीयपक्ष ने भवन का नक्शा, निर्माण की सामिग्री, निर्माण की गुणवत्ता व जमीन के कागजात को देखकर व परखकर व पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर क्रय किया है और अगर प्रथमपक्ष के टायटिल में भविष्य में कोई कमी पाई जाती है तो उसको दूर करने का उत्तरदायित्व प्रथमपक्ष का ही होगा।

विदित हो विक्रीत मकान पर आज की तारीख तक बकाया टैक्स व चार्ज को अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथमपक्ष की है और आज के बाद की द्वितीयपक्ष की होगी।

विदित हो कि स्टाम्प एक्ट की धारा 27(1) के प्राविधान का पूर्ण पालन किया गया है। खर्चा बैनामा हाजा स्टाम्प, फीस व अन्य क्रेता द्वितीयपक्ष ने वहन किया है। प्रथमपक्ष ने उक्त मकान के पुराने असल कागजात की छायाप्रतियां द्वितीयपक्ष के हवाले कर दी हैं।

लिहाजा यह बैनामा हस्व हिदायत पक्षकारान के लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। तहरीर तारीख .. ई0। वमसौदा अशोक कुमार गर्ग दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा। दस्तावेज हाजा पर चस्पा फोटो की शिनाख्त गवाहान ने की है।